

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 606/2025

अलादीन पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

-वादी

बनाम

1. ईमामदीन पुत्र श्री अहमद्दीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई शाखा संगरिया तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया।

-प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से

:- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट

प्रतिवादी सं. 01 की ओर से

:- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते
इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील वादी मिन
जामिन मुदई तथा श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील प्रतिवादी सं. 01 मिन जानिब
मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 का खाता मुताबिक
राजीनामा अलग अलग कायम क्रिया जाकर इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद किया जावे तथा चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 5/98 में वादी अलादीन
पुत्र मोहम्मद हुसैन के नाम दर्ज कुल 3.508 है. आराजी मे से 0.219 है.
आराजी प्रतिवादी सं. 1 ईमामदीन पुत्र अहमद्दीन के नाम दर्ज की जाकर उक्त

लगातार --2

महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

खाता में से वादी का 0.219 है. हिस्सा कम किया जावे तथा इसी चक के खाता सं. 11/6 में प्रतिवादी सं. 1 ईमामदीन पुत्र अहमददीन के नाम दर्ज कुल 1.619 है. आराजी मे से 0.380 है. आराजी वादी अलादीन पुत्र मोहम्मद हुसैन के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 1 का 0.380 है. हिस्सा कम किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 का खाता मुताबिक राजीनामा निम्न प्रकार से अलग किया जाता है:-

(क) वादी अलादीन पुत्र मोहम्मद हुसैन का हिस्सा:-

चक 8 एम.एम.के. खाता सं. 11/6

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
135/198	42	4/1/0.114 है., 4/3/0.013 है.गै.मु. खाला, 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.गै.मु. खाला, कुल 0.380 है.,

(ख) प्रतिवादी सं. 1 ईमामदीन पुत्र अहमददीन का हिस्सा:-

चक 8 एम.एम.के. खाता सं. 5/98

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
135/198	42	20/2/0.182 है., 21/2/0.037 है., कुल 0.219 है.,

नोट :- यदि डिक्रीत आराजी वादीगण/प्रतिवादीगण हक बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत्
.....निल..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकको अदा करे।

बसबल मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 1-1-2026 को जारी किया जाता है।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
उपसमूह अधिकारी (राजस्व),
संभाड़िया